भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश राज्य मुख्यालय

शांति मार्ग श्यामला हिल्स भोपाल

Website: www.bsgmp.net_mail: scoutguide_bpl@dataone phone 2661263,fax:2737446

क्रमाक /3153/ रा.मु / पंजीयन / 2015 भोपाल, दिनांक 23-7-15

प्रति

जिला शिक्षा अधिकारी / सहायक आयुक्त(आ.वि.)
पदेन जिला कमिश्नर (स्काउट / गाइड)
भारत स्काउट एवं गाइड मध्य-प्रदेश
जिला .... म.प्र.।

विषय – दल पंजीयन की लम्बित राशि न भेजने पर जिला संघ की मान्यता समाप्त करने बावत।

सदर्भ – इस कार्यालय का पत्र क्र. 549 दिनांक 11/2/15, पत्र क्र. 1613 दिनांक 22/4/15 पत्र क्रमांक 1624 दिनांक 23/4/15 एवं राज्य मुख्यालय का पत्र क्र 1613 दिनांक 22/4/2015 के अनुक्रम में ।

---000---

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन हो जिसके द्वारा स्कूल से प्राप्त पंजीयन की राशि का निर्धारित अंश राज्य मुख्यालय भोपाल को भेजने हेतु लिखा गया था लेकिन आपसे बार-बार अनुरोध करने के पश्चात भी निर्धारित लक्ष्य के अनुसार आपके द्वारा पंजीयन राशि नही भेजी जा रही है परिणाम स्वरूप राज्य मुख्यालय भोपाल द्वारा राष्ट्रीय मुख्यालय दिल्ली को भी सम्बद्धता शुल्क 25 लाख से अधिक की राशि नही भेजी जा रही है जिससे उनके द्वारा प्रदेश की संबद्धता समाप्त करने का नोटिस प्राप्त हुआ है।

म.प्र. भारत स्काउट एवं गाइड राज्य कार्यकारणी द्वारा निर्णय लिया गया है कि जिस जिले से संबद्धता हेतु पंजीयन राशि निर्धारित लक्ष्य के अनुसार प्रप्त नही होती उस जिले की प्रदेश से संबंद्धता समाप्त करते हुये समस्त भारत स्काउट एवं गाइड की गतिविधियों से जिले को वंचित किया जावे साथ ही राज्य परिषद के निर्वाचन में भी उक्त जिले को शामिल नही करने का निर्णय लिया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है आप पंजीयन की लम्बित राशि वर्ष 2011-12 की .... वर्ष 2012-13 की .... वर्ष 2013-14 की .... कुल राशि रूपये .... दिनांक 15/8/2015 तक राज्य मुख्यालय को प्रेषित करें अन्यथा आपके जिले की मान्यता समाप्त करते हुये आपके जिले को समस्त स्काउट गाइड की गतिवधियों से बंचित करते हुए प्रतिबंधित कर दिया जायेगा।

राज्य सचिव
भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र.

पृ.क्रमाक /3154/ रा.मु / पंजीयन / 2015 भोपाल दिनांक/ 23-7-15

प्रतिलिपि-

01- कलेक्टर जिला ....की ओर सूचनार्थ।
02- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिलापंचायत जिला .... की ओर सूचनार्थ।
03- संयुक्त संचालक लोक शिक्षण, संभाग .... की ओर सूचनार्थ।
04- उपायुक्त आदिवासी विकास, संभाग .... की ओर सूचनार्थ।
05- ए.एस.ओ.सी. (स्का./गा) भारत स्का./गा. म.प्र. संभागीय कार्यालय .... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
06- जिला संगठन आयुक्त(स्का./गा.)/ जिला सचिव, भारत स्का./गा. म.प्र. जिला .... की ओर पालनार्थ।

राज्य सचिव
भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र.